

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- मातौर

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा
188/17

रजू दिनांक
17.07.2017

निर्णय दिनांक
25.05.2018

अनुवान

1. पराग वलेचा पुत्र श्रीचन्द्र वलेचा जाति सिन्धी निवासी मातौर तह0 मुण्डावर जिला अलवर।

:-वादी

बनाम

1. अमरलाल पुत्र चूहडमल जाति सिन्धी निवासी मातौर हाल नि0 मकान नं. 116 होम्योपेथिक कॉलेज के पास शिवाजी पार्क अलवर।
2. साधना पत्नी अमरलाल जाति सिन्धी निवासी मातौर हाल नि0 मकान नं. 116 होम्योपेथिक कॉलेज के पास शिवाजी पार्क अलवर।
3. प्रताप पुत्र चूहडमल जाति सिन्धी निवासी हाल आर्दश कालोनी, वार्ड सं. 12 नियर गोपालदास स्कूल मातौर रोड खैरथल जिला अलवर।
4. दीपक पुत्र प्रताप जाति सिन्धी निवासी हाल आर्दश कालोनी, वार्ड सं. 12 नियर गोपालदास स्कूल मातौर रोड खैरथल जिला अलवर।

:-प्रतिवादीगण


दावा- हु0ई0दवामी

:-:पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 25.05.2018


उभयपक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 25.05.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

यह वाद जो केवल मात्र हु0ई0 दवामी का प्रस्तुत है को अन्य दावा संख्या 52/18 अमरलाल बनाम पराग जो इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज एवं हु0ई0 दवामी का


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

विचाराधीन है एवं पक्षकारान के अधिकार भी इसी दावे अनुसार तय होने है की स्थिति में अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किए जाने पाए जाने पर आराजी ख०नं० 1176 वाके ग्राम मातौर के बाबत अग्रिम कार्यवाही ड्रॉप कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 25.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


25.05/18

(महेश चन्द मुण्डावरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
मुंडावर (अलवर) राज०
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)